

उत्तर मध्य रेल

पत्रांक – ई-मेड/टूंडला/मान्यता/डायग्नोस्टिक/18

कार्यालय

दिनांक 17 .07.2018

चिकित्सा अधीक्षक उ0म0रे0 टूंडला

अभिरूचि की अभिव्यक्ति

उप-मंडलीय चिकित्सालय, उत्तर मध्य रेलवे, टूंडला में बहिःस्रोतों द्वारा सीटी स्केन, एमआरआई, ईको, 2डी, टीएमटी, होल्टर, मेमोग्राफी एवं ई0ई0जी0 जाँच एवं पेशोल्जी जाँच सेवाएं प्रदान करने हेतु विज्ञापन

चिकित्सा अधीक्षक, उत्तर मध्य रेल, टूंडला सीटी स्केन, एमआरआई, ईको, 2डी, टीएमटी, होल्टर, मेमोग्राफी एवं ई0ई0जी0 जाँच एवं पेशोल्जी से सम्बन्धित योग्य रेडियोलॉजिस्ट एवं डायग्नोस्टिक सेन्टर से जो इस कार्य से सम्बन्धित अपना डायग्नोस्टिक सेन्टर चला रहे हैं ऐसे इच्छुक योग्य रेडियोलॉजिस्ट एवं डायग्नोस्टिक संचालकों से इस विज्ञापन के प्रकाशित होने के बीस दिन के अन्दर सीजीएचएस (नॉन-एनएबीएल) 2014 मेरठ की दरों पर ऑफर आमंत्रित किये जाते हैं।

निम्नलिखित शर्तें अनिवार्य हैं:-

1. रेडियोलॉजिस्ट एवं पैथोलॉजिस्ट द्वारा चलाये जाने वाली डायग्नोस्टिक सेन्टर का आवश्यक उपकरणों से परिपूर्ण एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी जिला आगरा/फ़िरोज़ाबाद द्वारा पंजीकृत होना आवश्यक है।
2. डायग्नोस्टिक सेन्टर की सेवाएं सीजीएचएस (नॉन-एनएबीएल) 2014 मेरठ की दरों पर आधारित होना चाहिये, जो एक वर्ष की अवधि हेतु मान्य आर्थात अनुबन्ध की तिथि से दो वर्ष की अनुबन्धित अवधि में अपरिवर्तनीय होगी।
3. रेलवे रोगियों को अधिकृत चिकित्सा अधिकारी एवं चिकित्सा अधीक्षक/ टूंडला द्वारा किए गये काउंटर हस्ताक्षर उपरान्त रैफर पत्र के साथ आपके पास जाँच हेतु भेजा जायेगा।
4. अधिकृत रेल चिकित्सा अधिकारी द्वारा रैफर रेल कर्मचारी, उनके आश्रितों एवं सेवानिवृत्त रेल कर्मचारियों से कोई भुगतान प्राप्त नहीं किया जायेगा।
5. भुगतान की पद्धति सीजीएचएस (नॉन-एनएबीएल) 2014 मेरठ की दरों पर आधारित रेट लिस्ट द्वारा होगी।
6. समस्त विवादों का निराकरण महाप्रबंधक/उत्तर मध्य रेल, इलाहाबाद द्वारा **Arbitration Act(26)1996** की धारा के प्रसंग में नियुक्त आर्बीट्रेटर द्वारा किया जायेगा। निर्णय अमान्य होने की दिशा में विवाद की अपील महाप्रबंधक, उत्तर मध्य रेल, इलाहाबाद के समक्ष की जायेगी। जिनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा। असहमति की दशा में प्रकरण जिला न्यायालय, फ़िरोज़ाबाद के अधिकार क्षेत्र में रहेगा।
7. नामांकन प्रमाण पत्र अनुभव प्रमाण पत्र मेरठ द्वारा सीजीएसएस (नॉन-एनएबीएल) 2014 मेरठ की रेट लिस्ट का प्रत्येक पृष्ठ रेडियोलॉजिस्ट एवं पैथोलॉजिस्ट द्वारा हस्ताक्षरित हो एक सील बन्द लिफाफा के साथ चिकित्सा अधीक्षक, उ0म0रे0 टूंडला (उ0प्र0) 283204 के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में समय प्रातः 10:00 बजे से सांय 05:00 बजे तक जमा करें।
8. अनुबन्ध का समय दो वर्ष है
(नोट : जो भी उपरोक्त सभी सेवायें दे सकते हैं वे ही आवेदन करें।

चिकित्सा अधीक्षक

उ0म0रे0 टूंडला

NORTH CENTRAL RAILWAY

L.No. Med/TDL/Recog./Diagnostic/18

Date:- 17 .07.2018

OFFICE OF THE

Medical Superintendent NCR. Tundla

EXPRESSION OF INTEREST

ADVERTISEMENT FOR OUTSOURCING THE CT SCAN, MIR, ECHO, 2D, TMT, HOLTER, MAMMOGRAPHY & EEG AND PATHOLOGICAL SERVICES FOR SUB-DIVISIONAL HOSPITAL NORTH CENTRAL RAILWAY TUNDLA

CMS/North Central Railway/Tundla is inviting application from qualified Radiologists and running Diagnostic Centers for outsourcing the investigations of CT Scan, MRI, Echo, 2D, TMT, Holter, Mammography & EEG and all pathological investigations willing Radiologist and Diagnostic Centers owner need to apply within 20 (Twenty) days of publication of this ADVERTISEMENT.

Following conditions are mandatory-

1. The radiologist and pathologist should have a well equipped & registered diagnostic Center (registered with Chief Medical Officer/District Agra/ Firozabad).
2. The rates of above investigation should be based on CGHS (Non-NABL) 2014 Meerut rates, which will be applicable for complete two year, means will not be changeable during the complete one year which will be effective from date of approval of this agreement.
3. Railway patients will be referred to you with a proper referral letter from Railway Hospital North Central Railway/ Tundla Signed by authorized medical Officer & Counter signed by MS/Tundla
4. No payment will be charged from Railway Employees, their dependents & retired railway employees duly referred by authorized Railway Medical Officer.
5. The mode of payment will be done on bill system based on CGHS (Non-NABL) 2014 Meerut rates list.
6. All the disputes or differences will be resolved by Arbitrator deputed by G.M./NCR/Allahabad & his decision will be accepted by the parties, further G.M./NCR/Allahabad & His Decision will Be Accepted By BOTH THE PARTIES, FURTHER DISAGREEING UPON THE MATTER CAN BE TAKEN TO Firozabad District Court.
7. All documents containing copy of registration certificate, Experience proving documents, CGHS (Non-NABL) 2014 Meerut rates list, with the signature of the radiologist & pathologist on every page in a sealed envelope should be deposited in the office the Medical Superintendent/North Central Railway Tundla (U.P) 283204 during office hours from 10:00 AM to 5:00 PM on all working days.
8. Recognition will be for a period of Two Years.

(Note:- Those who will provide all the services can only apply).

Medical Superintendent
NCR, Tundla